حرمين

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

महत्वपूर्ण पाठ उम्मत के सामान्य लोगों के लिए

हिन्दी

هندي

الدروس المهمة لعامة الأمة

लेखक:

आदरणीय शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

ح جمعية الدعوة و الارشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بن باز ، عبدالعزيز

الدروس المهمة لعامة الأمة باللغة الهندية . / عبدالعزيز بن باز ؛

مؤسسة رواد التراجم لتقنية المعلومات -. الرياض ، ١٤٤٣ هـ

١٩ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٤-٨٤-٨٣٦٦-٦٠٣-٩٧٨

١- الاسلام - مبادئ عامة ٢- الثقافة الاسلامية أ. مؤسسة رواد التراجم لتقنية المعلومات (مترجم) ب. العنوان

ديوي ٢١١ ١٠٢٥٣ / ١٤٤٣

الدروس المهمة
لعامة الأمة

महत्वपूर्ण पाठ उम्मत के सामान्य लोगों के लिए

लेखकः

आदरणीय शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

प्रस्तावना

अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ), जो बड़ा दयालु एवं अति दयावान है।

सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे ब्राह्मांडों का रब है एवं अच्छा परिणाम अल्लाह से डरने वालों का होगा, एवं दरूद (प्रशंसा) व सलाम (शांति) हो हमारे नबी मुहम्मद पर, तथा आपकी तमाम संतान-संतति और तमाम साथियों पर।

तत्पश्चात!

यह कुछ संक्षिप्त वाक्य हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में आम जनता को अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। मैंने इसे (महत्वपूर्ण पाठ सामान्य लोगों के लिए)[1] का नाम दिया है।

अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यह किताब मुसलमानों के हित में हो तथा अल्लाह तआला मेरे इस प्रयास को क़बूल करे। वह निस्संदेह बड़ा दानशील और तमाम गुणों में सर्वश्रेष्ठ है।

अबदुल अज़ीज़ बिन अबदुल्लाह बिन बाज़

---

[1] यह सम्माननीय शैख़ के पुस्तक संग्रह (मजमूअ फतावा एवं विभिन्न लेख) के तीसरे भाग, पृष्ठ : (288-298) में प्रकाशित हुआ था।

पहला पाठ : सूरा फातिहा एवं दूसरी छोटी सूरतें

सूरा फातिहा तथा सूरा ज़लज़ला से सूरा नास तक छोटी-छोटी जितनी सूरतें संभव हों उनको शुद्ध रूप से पढ़ना सिखाना, स्मरण करवाना एवं जिनको समझना आवश्यक है, उनकी व्याख्या करना।

दूसरा पाठ : इस्लाम के स्तंभ

इस्लाम के पाँच अरकान (स्तंभों) का विवरण, जिनमें सबसे पहला एवं महानतम है : यह गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, तथा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं। इसके अर्थों की व्याख्या (को जानने एवं मानने) के साथ, तथा 'ला इलाहा इल्लल्लाह' की शर्तों की व्याख्या के साथ। 'ला इलाहा' का अर्थ है कि अल्लाह के सिवा किसी की भी पूजा नहीं की जाएगी, और 'इल्लल्लाह' का अर्थ है कि केवल अल्लाह की ही पूजा की जाएगी, उसका कोई साझेदार नहीं है। 'ला इलाहा इल्लल्लाह' की शर्तें हैं : अज्ञानता के विपरीत ज्ञान, संदेह के विपरीत विश्वास, शिर्क के विपरीत निष्ठा, झूठ के विपरीत सच्चाई, घृणा के विपरीत प्रेम, विरोध के विपरीत समर्पण, अस्वीकृति के विपरीत स्वीकृति, तथा अल्लाह के अतिरिक्त अन्य सभी की पूजा का इनकार। इन्हीं शर्तों को निम्नलिखित दो पंक्तियों में संकलित किया गया है :

ज्ञान, विश्वास, निष्ठा एवं सच्चाई, इनके साथ-साथ प्रेम, समर्पण और स्वीकृति

तथा इन के साथ आठवीं शर्त की वृद्धि की गई है जो यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त जिन की भी पूजा की जाती है उन का इनकार करना।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रसूल होने की गवाही देने के साथ। तथा इस गवाही से मुराद है: जो कुछ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सूचना दी है, उस में आप पर विश्वास करना, जो कुछ आप ने आदेश दिया है, उसका पालन करना, तथा जिससे आप ने मना किया है, उससे बचना, एवं अल्लाह की इबादत व उपासना केवल उसी ढंग से करना जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने निर्धारित किया है। तत्पश्चात छात्र को इस्लाम के शेष पाँच स्तंभों के बारे में बताया जाए, जो कि ये हैं : नमाज़, ज़कात, रमज़ान का रोज़ा, और जो सक्षम हो उसके लिए अल्लाह के पवित्र घर का हज्ज करना।

तीसरा पाठ : ईमान के स्तंभ

ईमान के स्तंभ छह हैं : अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों (संदेशवाहकों) पर तथा आख़िरत (परलोक) पर ईमान (विश्वास) लाना एवं अच्छे तथा बुरे भाग्य पर ईमान रखना कि वे अल्लाह की ओर से होते हैं।

चौथा पाठ : तौहीद (एकेश्वरवाद) एवं शिर्क (बहुदेववाद) के प्रकार

तौहीद के प्रकारों का विवरणः इसके तीन प्रकार हैं : तौहीद-ए-रुबूबिय्यत, तौहीद-ए-उलूहिय्यत तथा तौहीद-ए-असमा व सिफात।

तौहीद-ए-रुबूबिय्यत का अर्थ है : इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह हर वस्तु का स्रष्टा है, वही नियंत्रण करने वाला है एवं इन बातों में कोई उसका साझीदार नहीं।

तौहीद-ए-उलूहिय्यत का मतलब है : इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और इस मामले में उसका कोई साझी नहीं है। यही 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का अर्थ है। अतएव नमाज़, रोज़ा आदि सारी इबादतों (उपासनाओं) को केवल अल्लाह के लिए खास करना है, किसी दूसरे के लिए उनमें से कुछ भी करना जायज नहीं।

तौहीद-ए-असमा व सिफ़ात का अर्थ : अल्लाह के उन सभी नामों तथा गुणों पर ईमान लाना, जो क़ुरआन एवं सही हदीसों में उल्लिखित हैं तथा उन्हें अल्लाह के लिए उपयुक्त ढंग से साबित करना, इस तरह कि उसमें न कोई विकृति हो, न इनकार, न अवस्था बयान की जाए एवं ना ही उदाहरण दिया जाए, अल्लाह के इस आदेश के अनुसार :

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

{आप कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है (1)। अल्लाह निःस्पृह और तमाम गुणों में सम्पूर्ण है (2)। न उसने (किसी को) जना है एवं न (किसी ने) उसको जना है (3)। और न उस के बराबर कोई है।}[1] एवं अल्लाह के इस फ़रमान के अनुसार भी :

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

"उसके जैसी कोई वस्तु नहीं एवं वह सुनने वाला तथा देखने वाला है।"[2] कुछ इस्लामी विद्वानों ने तौहीद की दो क़िस्में बताई हैं और तौहीद-ए-असमा व सिफ़ात को तौहीद-ए-रुबूबिय्यत के अंतर्गत माना है। इसमें कोई दोष भी नहीं है क्योंकि दोनों वर्गीकरणों से अस्ल उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है।

---

[1] सूरा अल-इख़्लास़, आयत : 1-4

[2] सूरा अश्-शूरा, आयत : 11

शिर्क के तीन प्रकार हैं : शिर्क-ए-अकबर (बड़ा शिर्क), शिर्क-ए-असग़र (छोटा शिर्क) तथा शिर्क-ए-ख़फ़ी (गुप्तप्राय शिर्क)।

शिर्क-ए-अकबर: मनुष्य के समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है एवं इस शिर्क पर मरने वाला सदैव जहन्नम में रहेगा। अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

"और अगर वे शिर्क करें तो उनके समस्त कर्म बरबाद हो जाएंगे।"[1] अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फ़रमाया :

{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ}

"मुश्रिकों (बहुदेववाद में विश्वास रखने वालों) का काम नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वे स्वयं अपने ऊपर कुफ्र के साक्षी हैं, उनके सारे कर्म व्यर्थ गए और वे सदा के लिए जहन्नम में रहने वाले हैं।"[2] और अगर इसी हालत में उसका निधन हो जाए तो उसे क्षमादान नहीं मिलेगा तथा जन्नत उसके लिए हराम होगी जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ}

"निस्संदेह, अल्लाह शिर्क को क्षमा नही करेगा, इसके सिवा जिसका जो गुनाह (पाप) चाहेगा, माफ़ कर देगा।"[3], अल्लाह तआला ने एक और स्थान पर फ़रमाया :

{إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}

---

[1] सूरा अल-अन्आम, आयत : 88

[2] सूरा अत-तौबा, आयत : 17

[3] सूरा अन-निसा, आयत : 48

"जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराता है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है एवं उसको जहन्नम में आश्रय मिलेगा तथा ज़ालिमों (अत्याचारियों) की कोई सहायता करने वाला नहीं होगा।"[1]

मरे हुए लोगों तथा मूर्तियों को पुकारना, उनसे सहायता मांगना, उनके लिए मन्नत मानना एवं उनके लिए जानवर ज़बह करना आदि शिर्के अकबर के अंतर्गत आते हैं।

शिर्क-ए-असग़र : हर वह कर्म है जिसको किताब व सुन्नत में शिर्क कहा गया हो, पर वह शिर्क-ए-अकबर ना हो जैसे रियाकारी यानी दिखावा, अल्लाह के सिवा किसी वस्तु की कसम खाना एवं 'जो अल्लाह चाहे एवं अमुक व्यक्ति चाहे' आदि कहना, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया है : "सबसे अधिक जिस चीज़ का मुझे तुम लोगों पर भय है, वह है शिर्क -ए- असग़र (छोटा शिर्क)।" आप से इसके बारे में पूछा गया, तो आप ने फ़रमाया : "रियाकारी (दिखावा)"।[2][3] इमाम अहमद, तबरानी तथा बैहक़ी ने महमूद बिन लबीद अनसारी -रज़ियल्लाहु अनहु- से 'जय्यिद सनद' (वर्णनकर्ताओं के विश्वसनीय क्रम) के साथ इस हदीस का वर्णन किया है एवं तबरानी ने इसे कई 'जय्यिद सनदों' से 'महमूद बिन लबीद के हवाले से, वह राफ़े बिन ख़दीज से और राफ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' से इसका वर्णन किया है।

---

[1] सूरा अल् माइदा, आयत : 72

[2] मुसनद अह़मद (5/428)।

[3] मुसनद अह़मद (5/ 428)।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक फ़रमान यह भी है : "जिसने अल्लाह के सिवा किसी और वस्तु की कसम खाई उसने शिर्क किया।[1] इस हदीस़ को इमाम अह़मद ने स़ह़ीह़ सनद के साथ उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन किया है। तथा इस ह़दीस़ को अबू दावूद ने एवं तिर्मिज़ी ने स़ह़ीह़ सनद के साथ इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से तथा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है, कि आप ने फ़रमाया : "जिसने अल्लाह के सिवा किसी और वस्तु की सौगंध खाई उसने शिर्क किया।"[2] आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक फ़रमान यह भी है : "जो अल्लाह चाहे एवं अमुक चाहे' ना कहो, बल्कि 'जो अल्लाह चाहे फिर अमुक चाहे' कहो।"[3] इसे अबू दाऊद ने हुज़ैफ़ा बिन यमान -रज़ियल्लाहु अनहु- से सही सनद के साथ रिवायत किया है।

परन्तु इस शिर्क से कोई मुरतद (धर्म छोड़ने वाला) नहीं होता एवं न ही कोई इसके कारण सदैव जहन्नम में रहेगा, पर यह तौहीद की अनिवार्य संपूर्णता के विपरीत है।

---

[1] बुख़ारी, अल-ऐमान व अन-नूज़ूर (6271), मुस्लिम, अल-ऐमान (1646), तिर्मिज़ी, अन-नूज़ूर व अल-ऐमान (1533), नसई, अल-ऐमान व अन-नूज़ूर (3764), अबू दावूद, अल-ऐमान व अन-नूज़ूर (3249), इब्न -ए- माजह, अल-कफ्फारात (2094), अह़मद (1/47), मालिक, अन-नूज़ूर व अल-ऐमान (1037), दारमी, अन-नूज़ूर व अल-ऐमान (2341)।

[2] बुख़ारी, अल-अदब (5757), मुस्लिम, अल-ऐमान (1646), तिर्मिज़ी, अन-नूज़ूर व अल-ऐमान (1535), नसई, अल-ऐमान व अन-नूज़ूर (3766), अबू दावूद, अल-ऐमान व अन-नूज़ूर (3251), इब्न -ए- माजह, अल-कफ्फारात (2094), अह़मद (2/69), मालिक, अन-नूज़ूर व अल-ऐमान (1037), दारमी, अन-नूज़ूर व अल-ऐमान (2341)।

[3] अबू दावूद, अल-अदब (4980), अह़मद (5/399)।

तीसरे प्रकार अर्थात शिर्क-ए-ख़फ़ी : अर्थात गुप्त शिर्क, इसका प्रमाण अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का यह कथन है : "क्या मैं तुम्हें वह बात न बता दूं जिसका मुझे तुम्हारे बारे में दज्जाल से भी अधिक भय है? सहाबा -रज़ियल्लाहु अनहुम- ने कहा : अवश्य, हे अल्लाह के रसूल! आपने कहा : शिर्क-ए-ख़फ़ी, आदमी खड़ा होता है और नमाज़ पढ़ता है, जब वह देखता है कि कोई आदमी उसकी ओर देख रहा है तो वह और अच्छे ढंग से नमाज़ पढ़ने लगता है।"[1] इसको इमाम अहमद ने अपनी मुसनद में अबू सईद ख़ुदरी -रज़ियल्लाहु अनहु- से रिवायत किया है।

वैसे, शिर्क को केवल दो भागों में भी विभक्त किया जा सकता है :

अकबर (बड़ा) एवं असग़र (छोटा) रही बात शिर्क-ए-ख़फ़ी (गुप्त शिर्क) की, तो यह दोनों को शामिल है।

अकबर (बड़े शिर्क) में ख़फ़ी का उदाहरण है मुनाफ़िकों (जो केवल दिखावे के लिए इसलाम का दावा करें) का शिर्क, क्योंकि वे अपनी गलत आस्था को छिपाते हैं एवं अपनी जान बचाने हेतु इस्लाम का दिखावा करते हैं।

असग़र (छोटे शिर्क) में ख़फ़ी का उदाहरण रियाकारी एवं दिखावा है, जिस का विवरण उपर्युक्त हदीसों में गुज़र चुका है।

पाँचवाँ पाठ : एहसान

एहसान का स्तंभ, जिसका सारांश यह है कि आप अल्लाह की उपासना इस प्रकार करें कि मानो आप उस को देख रहे हैं, यदि यह कल्पना न उत्पन्न हो

---

[1] इब्न -ए- माजह, अज़-ज़ुह्द (4204), अहमद (3/30)।

सके कि आप उसको देख रहे हैं तो (यह स्मरण रखें कि) वह आपको अवश्य देख रहा है।

छठा पाठ : नमाज़ की शर्तें

नमाज़ की नौ शर्तें हैं :

इस्लाम, समझ, होश संभालने की आयु, हदस (नापाकी) को दूर करना, नजासत (गन्दगी) को साफ़ करना, गुप्तांग को छिपाना, समय का आ जाना, क़िबला की तरफ मुंह करना तथा नीयत करना।

सातवाँ पाठ : नमाज़ के अरकान (स्तंभ)

नमाज़ के अरकान (स्तंभ) चौदह हैं :

सक्षम होने पर खड़ा होना, तकबीर-ए-तहरीमा (नमाज की प्रथम तकबीर), सूरा फ़ातिहा पढ़ना, रुकू करना, रुकू के पश्चात सीधे खड़ा होना, सात अंगों पर सजदा करना, सजदे से उठना, दोनों सजदों के बीच बैठना, उपरोक्त समस्त कर्मों में शांति एवं ठहराव, अरकान (स्तंभों) की अदायगी में क्रम, आख़िरी तशह्हुद, तथा उसके लिए बैठना, अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजना एवं दोनों सलाम।

आठवाँ पाठ : नमाज़ के वाजिब (आवश्यक) कर्म

नमाज़ के वाजिब (आवश्यक) कर्म आठ हैं :

तकबीर-ए-तहरीमा के सिवा, सारी तकबीरें, इमाम तथा अकेले दोनों का سمع الله لمن حمده तथा ربنا ولك الحمد कहना, रुकू में سبحان ربي العظيم

कहना, सजदे में سبحان ربي الأعلى कहना, दोनें सजदों के बीच رب اغفر لي कहना, प्रथम तशह्हुद और उसके लिए बैठना।

नौवाँ पाठ : तशह्हुद का विवरण

तशह्हुद निम्नलिखित है :

हर प्रकार का सम्मान, समग्र दुआएँ एवं समस्त अच्छे कर्म व अच्छे कथन अल्लाह के लिए हैं। हे नबी! आपके ऊपर सलाम, अल्लाह की कृपा तथा उसकी बरकतों की वर्षा हो, हमारे ऊपर एवं अल्लाह के भले बंदों के ऊपर भी शांति की जलधारा बरसे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य माबूद (पूज्य) नहीं, एवं मुहम्मद अल्लाह के बंदे तथा उस के रसूल हैं।

फिर अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजेगा एवं उन के लिए बरकत की दुआ करते हुए कहेगा : हे अल्लाह! मुहम्मद एवं उनके परिवार पर उसी प्रकार अपनी रहमत भेज, जिस प्रकार से तूने इबराहीम एवं उनके परिवार पर अपनी रहमत भेजी थी। निस्संदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है। एवं मुहम्मद तथा उनके परिवार पर उसी प्रकार से बरकतों की बारिश कर जिस प्रकार से तूने इबराहीम एवं उनके परिवार पर की थी। निस्संदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है।

फिर आख़िरी तशह्हुद में जहन्नम की यातना, क़ब्र के अज़ाब, जीवन एवं मौत की आज़माइश एवं दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह का आश्रय मांगेगा। फिर जो दुआ चाहेगा पढ़ेगा, विशेष रूप से कुरआन एवं हदीस से सिद्ध दुआएँ। जैसे:

"हे अल्लाह! मुझे क्षमता दे कि मैं तेरा ज़िक्र करूँ, तेरा शुक्र करूँ एवं अच्छे ढंग से तेरी उपासना करूँ। हे अल्लाह! मैंने अपनी आत्मा पर बड़ा अत्याचार किया है एवं तेरे सिवा कोई पापों को क्षमा करने का अधिकार नहीं

रखता, इसलिए तू मुझे अपनी क्षमा की छाया प्रदान कर एवं मुझ पर कृपा कर। निस्संदेह, तू क्षमा करने वाला तथा अति दयालु है।"

ज़ुहर, अस्र, मग़रिब तथा इशा में प्रथम तशह्हुद में 'शहादतैन' के पश्चात तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो जाएगा। परन्तु यदि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजता है तो यह अफ़ज़ल (उत्तम) है, क्योंकि इसे बारे में हदीसों में आम बात आई है। फिर तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा होगा।

दसवाँ पाठ : नमाज़ की सुन्नतें

कुछ सुन्नतें इस प्रकार हैं :

1- इस्तिफ़्ताह़ (शुरूआती दुआ पढ़ना)।

2- रुकू से पहले और रुकू के बाद खड़े होने की अवस्था में दायीं हथेली को बायीं पर सीने के ऊपर रखना।

3- प्रथम तकबीर, रुकू में जाते समय, रुकू से उठते समय और प्रथम तशह्हुद से तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा होते समय, दोनों हाथों को कंधों के अथवा कानों के बराबर इस तरह बुलंद करना कि अंगुलियां मिली तथा खड़ी रहें।

4- रुकू एवं सजदे में एक से अधिक बार तसबीह पढ़ना।

5- रुकू से उठने के बाद ربنا ولك الحمد से अधिक जो कहा जाए एवं दोनों सजदों के दरमियान एक बार رب اغفر لي से अधिक जो कहा जाए।

6- रुकू करते समय सिर एवं पीठ को समानांतर रखना।

7- सजदा करते समय बांहों को पहलुओं से तथा पेट को जांघों से एवं जांघों को टांगों से अलग रखना।

8- सजदा करते समय, बाज़ुओं को ज़मीन से अलग रखना।

9- प्रथम तशह्हुद तथा दोनों सजदों के बीच, बाएँ पैर को बिछाकर उसपर बैठना एवं दाएँ पैर को खड़ा रखना।

10- चार रकअ़त एवं तीन रकअ़त वाली नमाज़ों में अंतिम तशह्हुद में तवर्रुक (एक विशेष बैठक) करना, अर्थात: अपने चूतड़ पर बैठना, बाएँ पैर को दाएँ पैर के नीचे रखना एवं दाएँ पैर को खड़ा रखना।

11- प्रथम एवं दूसरे तशह्हुद में, बैठने के समय से अंत तक तर्जनी से इशारा करना एवं दुआ़ करते समय उसे हिलाते रहना।

12- प्रथम तशह्हुद में अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एवं इबराहीम -अ़लैहिस् सलातु वस्सलाम- तथा उनके परिवार पर दरूद भेजना एवं उनके लिए बरकत की दुआ़ करना।

13- अंतिम तशह्हुद में दुआ़ करना।

14- फ़ज्र, जुमा, दोनों ईदों, इस्तिस्क़ा (वर्षा मांगने के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज़) एवं मग़रिब तथा इशा की पहली दो रकअ़तों में जहरी (बुलंद आवाज़ से) क़ुरआन पढ़ना।

15- ज़ुहर, अस्र, मग़रिब की तीसरी रकअ़त एवं इशा की आख़िर की दोनों रकअ़तों में सिर्री (एकदम धीमी आवाज़ से) क़ुरआन पढ़ना।

16- फ़ातिहा के अतिरिक्त कुछ आयतें पढ़ना। इनके अलावा भी कुछ सुन्नतें हैं, जैसे वे दुआ़एँ जो इमाम, मुक़तदी (इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला)

एवं अकेला व्यक्ति रुकू से उठने के बाद ربنا ولك الحمد के अलावा पढ़ते हैं, एवं रुकू करते समय हाथों को घुटनों पर इस तरह रखना कि अंगुलियां खुली रहें। इन सभी सुन्नतों का ख़्याल रखा जाना चाहिए।

ग्यारहवाँ पाठ : नमाज़ को अमान्य करने वाली वस्तुएँ

नमाज़ को अमान्य करने वाली वस्तुएँ आठ हैं :

1- याद रहते हुए जान-बूझ कर बात करना, परन्तु यदि कोई अज्ञानतावश या भूल कर बात कर ले तो उसकी नमाज़ निष्फल नहीं होगी।

2- हँसना

3- खाना

4- पीना

5- गुप्तांग का खुल जाना

6- क़िबले की ओर से बहुत ज़्यादा फिर जाना

7- नमाज़ में बहुत ज्यादा लगातार बेकार की हरकतें करना

8- वज़ू का टूटना

बारहवाँ पाठ : वज़ू की शर्तें

वज़ू की शर्तें दस हैं :

इस्लाम, अक़्ल, होश संभालने की आयु, नीयत, वज़ू सम्पूर्ण होने तक नीयत के हुक्म को जारी रखना, वज़ू को वाजिब (आवश्यक) करने वाली

वस्तुओं का ख़त्म होना, वज़ू से पहले (शौच के पश्चात) जल अथवा पत्थर आदि का उपयोग करना, जल का पवित्र एवं जायज होना, जो वस्तु जल को चमड़े तक पहुँचने से रोके, उसे दूर करना एवं जिस व्यक्ति का ह़दस अर्थात नापाकी का स्राव लगातार हो, उसके लिए नमाज़ के समय का आ जाना।

तेरहवाँ पाठ : वज़ू के आवश्यक कर्म

वज़ू के आवश्यक कर्म छह हैं :

चेहरे को धोना, और कुल्ली करना तथा नाक में पानी डालना चेहरे के अंतर्गत आते हैं, कोहनी समेत दोनों हाथों को धोना, पूरे सिर का मसह (हाथ फेरना) करना, और दोनों कान सिर के अंतर्गत आते हैं, टखनों समेत पैरों को धोना, वज़ु के कार्य क्रमानुसार एवं लगातार करना, चेहरे, दोनों हाथों और दोनों पैरों को तीन-तीन बार धोना सुन्नत है और एक बार फ़र्ज़। परन्तु सिर का मसह सही हदीसों के अनुसार एक ही बार सुन्नत है।

चौदहवाँ पाठ : वज़ू को तोड़ने वाली वस्तुएँ

वज़ू को तोड़ने वाली वस्तुएँ छह हैं :

आगे और पीछे वाले गुप्तांग से निकलने वाली वस्तु, शरीर से अधिक मात्रा में निकलने वाली नजासत (गंदगी), नींद आदि के कारण होश में ना रहना, बिना किसी आड़ के अपने आगे या पीछे वाले गुप्तांग को छूना, ऊँट का मांस खाना और इसलाम को त्याग देना -अल्लाह तआला हमें एवं सारे मुसलमानों को इससे बचाए-।

महत्वपूर्ण चेतावनी: सही बात यह है कि मरे हुए व्यक्ति को स्नान कराने से वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि इस बात की कोई दलील नहीं है। यही अधिकतर

आलिमों की राय है। पर यदि मृतक के गुप्तांग पर बिना किसी आड़ के हाथ पड़ जाए तो वज़ू टूट जाएगा और नमाज़ पढ़ने के लिए नया वज़ू करना अनिवार्य होगा।

मृतक को स्नान कराने वाले के लिए आवश्यक है कि वह बिना आड़ के उसके गुप्तांग को स्पर्श ना करे। इसी प्रकार, विद्वानों के दो मतों में से ज़्यादा सही मत के अनुसार, औरत को स्पर्श करने से भी वज़ू नहीं टूटेगा, चाहे वासना सहित स्पर्श करे अथवा बिना वासना के, जब तक (स्पर्श करने वाले के गुप्तांग से) कुछ ना निकले, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में आया है कि आपने अपनी किसी पत्नी का चुंबन लिया और वज़ू किए बिना नमाज़ पढ़ ली।

रही बात सूरा अन-निसा एवं सूरा अल-माइदा की दो आयतों की, जिनमें है कि :

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

"अथवा महिलाओं को स्पर्श करो"[1] तो इन दोनों स्थानों में आशय संभोग से है, यही उलेमा के दो दृष्टिकोणों में ज़्यादा सही दृष्टिकोण है और यही इब्ने अ़ब्बास -रज़ियल्लाहु अनहुमा- तथा सलफ़ अर्थात पहले के विद्वानों एवं ख़लफ़ (बाद में आने वाले विद्वानों) के एक समूह का मत है। अल्लाह तआ़ला ही सुयोग एवं क्षमता देने वाला है।

[1] सूरा अन-निसा, आयत : 43, सूरा अल-माइदा : 6

पंद्रहवाँ पाठ : प्रत्येक मुसलमान का सदाचारी होना

जैसे सच्चाई, ईमानदारी, पाकबाज़ी, लज्जा, वीरता, दानशीलता, वफ़ादारी, हर उस काम से दूर रहना जिसे अल्लाह ने हराम घोषित किया है और अच्छा पड़ोसी बनना, सामर्थ्य के अनुसार अभावग्रस्तों की सहायता करना आदि शिष्ट व्यवहार जो क़ुरआन एवं हदीसों से प्रमाणित हैं।

सोलहवाँ पाठ : इसलामी शिष्टाचार धारण करना

कुछ इसलामी शिष्टाचार इस प्रकार हैं : सलाम करना, हँसमुख होना, दाएँ हाथ से खाना-पीना, 'बिस्मिल्लाह' कहकर खाना आरंभ करना एवं अंत में 'अल-हम्दु लिल्लाह' कहना, छींक आने के बाद 'अल-हम्दु लिल्लाह' कहना, छींकने वाले को जवाब देना, बीमार को देखने के लिए जाना, जनाज़े के लिए एवं दफ़नाने के लिए जाना, मस्जिद अथवा घर में प्रवेश करने एवं निकलने के धार्मिक आदाब, यात्रा के आदाब, माता-पिता, संबंधियों, पड़ोसियों, छोटों तथा बड़ों के संग अच्छा व्यवहार करना, बच्चे के जन्म पर बधाई देना, शादी के समय बरकत की दुआ देना, मुसीबत (आपदा) के समय दिलासा देना एवं कपड़ा तथा जूता पहनने-उतारने के इसलामी आदाब आदि।

सत्रहवाँ पाठ : शिर्क एवं गुनाहों से सावधान करना

जैसे सात घातक वस्तुएं, जो इस प्रकार हैं : अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू, बिना हक़ के हत्या करना, सूद लेना, अनाथ का माल हड़पना, रणभूमि से फ़रार होना एवं मोमिन पाकदामन महिलाओं पर झूठा लांछन लगाना।

इसी प्रकार से माता-पिता का आज्ञाकारी ना होना, रिश्तों और नातों को तोड़ना, झूठी गवाही देना, झूठी कसम खाना, पड़ोसी को कष्ट देना, लोगों की

जान, माल एवं उनके सम्मान पर आक्रमण करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, जूआ खेलना, गीबत एवं चुगली करना आदि जिन से अल्लाह तआ़ला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रोका है।

अठारहवाँ पाठ : मृतक के कफन और दफन का प्रबंध करना, उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना एवं उसे दफ़नाना

नीचे इसका विवरण प्रस्तुत है :

1- मर रहे व्यक्ति को इस्लाम का कलिमा पढ़ने के लिए प्रेरित करना

मर रहे व्यक्ति को لا إله إلا الله याद दिलाना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने फ़रमाया है : "मर रहे लोगों को لا إله إلا الله पढ़ने के लिए प्रेरित करो"।[1] इस ह़दीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सह़ीह़ (मुस्लिम शरीफ़) में रिवायत किया है। इस हदीस में (मर रहे लोगों) से मुराद ऐसे लोग हैं, जिनपर मौत के निशान ज़ाहिर हो चुके हों।

2- जब उसकी मृत्यु का विश्वास हो जाए तब उसकी आंखें एवं मुंह बंद कर दिए जाएँ।

क्योंकि हदीस में इसका प्रमाण मौजूद है।

3- मुसलमान मुर्दे को नहलाना वाजिब है, सिर्फ उस आदमी को नहलाने की ज़रूरत नहीं जो रणभूमि में शहीद हुआ हो।

[1] मुस्लिम, अल-जना'इज़ (916), तिर्मिज़ी, अल-जना'इज़ (976), नसई, अल-जना'इज़ (1826), अबू दावूद, अल-जना'इज़ (3117), इब्न -ए- माजह, मा जा'अ फी अल-जना'इज़ (1445), अह़मद (3/3)।

उसे ना नहलाया जाएगा, ना उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी। बल्कि उसे उसी के कपड़ों में दफ़न किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने उहुद की जंग में शहीद होने वालों को ना नहलवाया और ना उनकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ी।

4- मृतक को स्नान कराने का तरीका

उसके गुप्तांग को ढक दिया जाए, फिर उसे थोड़ा ऊपर उठा कर उसके पेट को हल्के से दबाया जाए। इसके बाद, धोने वाला अपने हाथ पर कपड़ा या कुछ और लपेट कर उसके गुप्तांग को साफ करे। फिर उसे नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू कराए। इसके बाद, उसके सिर एवं दाढ़ी को पानी तथा बैर के पत्ते अथवा किसी और चीज़ से धोए। तत्पश्चात उसके दाहिने हिस्से को धोए, फिर बाएँ हिस्से को। इसी प्रकार से उसे दूसरी एवं तीसरी बार भी धोए, हर बार उसके पेट पर हाथ फेरे, यदि कुछ बाहर निकले तो उसे धोए तथा उस स्थान को रुई या किसी और चीज़ से बंद कर दे। यदि वह न रुके तो मिट्टी या आधुनिक चिकित्सा के साधनों जैसे चिपकने वाली पट्टी (टेप) आदि से बंद कर दे।

फिर उसका वुज़ू दोहराया जाए, तथा यदि तीन बार धोने से सफाई न हो तो पाँच या सात बार तक धोए, फिर उसे कपड़े से सुखाया जाए एवं उसकी बग़ल (काँख) और सज्दे के स्थानों पर इत्र लगाया जाए। यदि पूरे शरीर पर इत्र लगाया जाए तो अति उत्तम है, उसके कफ़न को बख़ूर से महकाया जाए। यदि उसकी मूंछें या नाखून लंबे हों तो उन्हें काट दिया जाए, किंतु यदि छोड़ दिया जाए तो भी कोई हर्ज (आपत्ति की बात) नहीं। उसके बालों में कंघी न की जाए, न ही उसके शष्प (जननेंद्रिय के बाल) हटाए जाएं, तथा न ही उसका ख़तना किया जाए, क्योंकि (क़ुरआन एवं ह़दीस़ में) इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। महिला

के बालों को तीन चोटियों में गूंथा जाए और उन्हें उसकी पीठ के पीछे छोड़ दिया जाए।

5- मृतक को कफ़नाना

बेहतर यह है कि पुरुष को तीन कपड़ों में कफ़नाया जाए, जिनमें ना कमीज हो ना पगड़ी, जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के साथ किया गया, लेकिन अगर कमीज, तहबंद एवं एक लपेटने वाले कपड़े में कफ़नाया जाए तो कोई हर्ज नहीं।

एवं महिला को पाँच कपड़ों में कफ़नाया जाएगा। कमीज, दुपट्टा, तहबंद तथा दो लपेटने वाले कपड़े। बच्चे को एक, दो अथवा तीन कपड़ों में एवं बच्ची को कमीज तथा दो लपेटने वाले कपड़ों में कफ़नाया जाएगा।

हाँ, पुरुष, महिला और बच्चे, सबके लिए वाजिब केवल एक कपड़ा है, जो समस्त शरीर को छिपा दे। परन्तु, मृतक यदि एहराम की अवस्था में हो तो उसे जल एवं बेरी के पत्तों से स्नान दिया जाएगा एवं अपने तहबंद और चादर आदि में कफ़नाया जाएगा। ना उसका सिर ढाँका जाएगा और ना उसका चेहरा और ना ही उसे सुगंध लगाई जाएगी, क्योंकि क़यामत के दिन उसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारता हुआ पुनर्जीवित किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की सहीह हदीस से साबित है। और एहराम की हालत में मरने वाली महिला को साधारण महिलाओं की तरह कफ़नाया जाएगा, मगर उसे सुगंध नहीं लगाई जाएगी एवं नक़ाब द्वारा उसका चेहरा नहीं ढाँका जाएगा एवं उसके हाथों को दस्ताने नहीं पहनाए जाएंगे। मगर उसका चेहरा तथा उसके हाथ कफ़न में लपेटे जाएंगे, जैसा कि इसका विवरण पहले दिया जा चुका है।

6- मृतक को स्नान देने, उसके जनाज़े की इमामत करने एवं उसे दफ़न करने का सबसे अधिक हक़दार कौन है?

मृतक को स्नान देने, उसके जनाज़े की इमामत करने एवं उसे दफ़न करने का सबसे अधिक हकदार वह व्यक्ति है जिसके बारे में मृतक ने वसीयत की हो, फिर पिता, फिर दादा, फिर जो जितना मृतक का निकटवर्ती संबंधी हो। यह हुई पुरुष की बात।

एवं महिला को स्नान देने का सबसे ज्यादा अधिकार उस महिला को प्राप्त है जिसके बारे में मृतक ने वसीयत की हो, फिर माता, फिर पिता, फिर जो जितनी निकटवर्ती महिला हो। पति-पत्नी के लिए यह जायज़ है कि एक-दूसरे को स्नान दे, क्योंकि अबू बक्र -रज़ियल्लाहु अनहु- को उनकी पत्नी ने नहलाया था एवं अ़ली -रज़ियल्लाहु अनहु- ने अपनी पत्नी फ़ातिमा -रज़ियल्लाहु अनहा- को स्नान दिया था।

7- जनाज़े की नमाज़ का तरीका

चार तकबीरें कहेगा। प्रथम तकबीर के बाद सूरा फ़ातिहा पढ़ेगा। यदि उसके साथ कोई छोटी सूरत अथवा एक आयत या दो आयतें पढ़ ले तो अच्छी बात है, क्योंकि इस संबंध में इब्ने अ़ब्बास -रज़ियल्लाहु अनहुमा- की हदीस मौजूद है। फिर दूसरी तकबीर कहे एवं अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर दरूद भेजे, तशह्हुद की तरह, फिर तीसरी तकबीर कहे तथा यह दुआ़ पढ़ेः हे अल्लाह! हममें से जो जीवित हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है, हममें से जो उपस्थित हैं और अनुपस्थित हैं, चाहे वह छोटे हों या बड़े, पुरुष हों या महिलाएँ, उन सबको क्षमा कर दे। हे अल्लाह! हममें से जिसे तू जीवित रखेगा, उसे इसलाम पर जीवित रख, एवं जिसे मृत्यु देगा, उसे ईमान पर मृत्यु दे। हे अल्लाह! उसे क्षमा कर दे, उस पर कृपा कर, उसे समस्त आपदाओं से सुरक्षित

रख, उसके पापों को मिटा दे, उसका अच्छा स्वागत-सत्कार करना, उसकी क़ब्र को विस्तारित कर दे, उसे जल, तुषार तथा ओले से स्नान करवा, उसे पापों से उसी प्रकार साफ़ कर दे जिस प्रकार सफ़ेद कपड़े को गंदगी से निर्मल किया जाता है, उसे पृथ्वी से उत्तम घर एवं उत्तम परिवार प्रदान कर, उसे जन्नत में प्रवेश करा तथा क़ब्र के दंड से मुक्ति दे, उसकी क़ब्र को प्रशस्त एवं ज्योतिर्मय कर दे। ऐ अल्लाह! हमें उसके स़वाब से वंचित ना कर एवं उसके पश्चात पथभ्रष्ट मत कर। फिर चौथी तकबीर कहेगा एवं दाईं ओर एक सलाम कहेगा।

तथा प्रत्येक तकबीर के साथ हाथ उठाना मुस्तह़ब (वांछित) है। यदि मृतक महिला हो तो कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इग़्फ़िर लहा...) अंत तक, एवं यदि दो शव हों तो कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इग़्फ़िर लहुमा...) अंत तक, और यदि शव दो से अधिक हों तो कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इग़्फ़िर लहुम...) अंत तक, किंतु मृतक यदि बच्चा हो तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थना के स्थान पर यह कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इजअल्हु फ़रत़न व ज़ुख़रन लि वालिदैहि, व शफीअन मुजाबन, अल्लाहुम्मा स़क़्क़िल बिहि मवाज़ीनहुमा, व आअज़िम बिहि उजूरहुमा, व अल्ह़िक़्हु बिस़ालिहि सलफिल-मुमिनीन, वजअल्हु फी कफालति इब्राहीमा अलैहिस्सलातु वस्सलामु, व क़िहि बिरह़मतिका अज़ाबल-जह़ीम), अर्थातः हे अल्लाह, इसे इसके माता-पिता के लिए एक अग्रदूत एवं संग्रह बना दे, और एक स्वीकार्य सिफारिशकर्ता बना दे। हे अल्लाह, इसके द्वारा उनके तराज़ू को भारी कर दे, और इसके द्वारा उनके पुण्य को बढ़ा दे, तथा इसे धर्मी पूर्वजों के साथ मिला दे। इसे इब्राहीम (अलैहिस्सलातु वस्सलाम) की देख-रेख में रख, एवं अपनी दया से इसे जहन्नम के अज़ाब से बचा।

सुन्नत यह है कि इमाम पुरुष के सिर के सामने और महिला के मध्य में खड़ा हो। यदि कई शव हों, तो पुरुष इमाम के निकट हो और महिला क़िबला

की ओर। यदि उनके साथ बच्चे भी हों, तो लड़के को महिला से पहले रखा जाए, फिर महिला, फिर लड़की। लड़के का सिर पुरुष के सिर के सामने हो, तथा महिला का मध्य पुरुष के सिर के सामने हो, और इसी प्रकार लड़की का सिर महिला के सिर के सामने हो और उसका मध्य पुरुष के सिर के सामने हो। सभी नमाज़ी इमाम के पीछे खड़े हों, सिवाय इसके कि यदि कोई अकेला हो और उसे इमाम के पीछे स्थान न मिले, तो वह इमाम के दाहिनी ओर खड़ा हो।

8- मृतक को दफ़न करने का तरीका

मशरूअ (सुन्नत) यह है कि क़ब्र को मनुष्य की कमर तक गहरा किया जाए, तथा इसमें क़िबला की दिशा में लहद (साइड चैम्बर) होना चाहिए। मृतक को लहद में उसके दाहिने पहलू पर रखा जाए, और कफ़न की गांठें खोल दी जाएं, परंतु उन्हें हटाना नहीं चाहिए, बल्कि वैसे ही छोड़ दिया जाए, तथा उसका चेहरा नहीं खोला जाए चाहे मृतक पुरुष हो अथवा महिला, फिर उस पर ईंटें रखी जाएं एवं गारा से इसे सील कर दिया जाए ताकि वह स्थिर रहे तथा नीचे मिट्टी गिरने से बचाए। यदि ईंटें उपलब्ध नहीं हों, तो प्लाई, पत्थर, लकड़ी अथवा अन्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाए, इस समय यह कहना मुस्तहब (वांछनीय) है : "बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अर्थात अल्लाह के नाम से तथा रसूल के ढ़ंग पर", क़ब्र को एक बालिश्त (बित्ता) ऊँचा उठाया जाए, एवं यदि उपलब्ध हो तो उस पर कंकड़ डाल दिया जाए तथा उस पर पानी का छिड़काव किया जाए।

यह बात शरीअत (इस्लामी विधान) के अंतर्गत है कि मृतक के साथ जाने वाले लोग क़ब्र के समीप खड़े हों तथा मृतक के लिए दुआ करें। क्योंकि नबी - सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- दफ़न के पश्चात खड़े होते एवं कहते : तुम लोग

अपने भाई के लिए क्षमा मांगो एवं दुआ करो कि वह प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ एवं अडिग रह सके, क्योंकि उससे अभी प्रश्न पूछे जाएंगे।[1]

9- यदि किसी की जनाज़े की नमाज़ छूट गई हो तो वह दफ़न के बाद पढ़ सकता है।

क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ऐसा किया है। परन्तु शर्त यह है कि ऐसा एक मास के अंदर होना चाहिए। इससे अधिक विलंब हो तो यह नमाज़ पढ़ना सही नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से साबित नहीं है कि आपने दफ़न के एक महीना बाद किसी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी हो।

10- मृतक के परिवार के लिए जायज़ नहीं कि वे लोगों के लिए खाना बनाएँ।

जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली -रज़ियल्लाहु अन्हु- के इस कथन के कारण कि : "हम मृतक के घर में एकत्र होने एवं उसे दफ़नाने के बाद खाना बनाने को मातम समझते थे (जो इसलाम में हराम है)।" इमाम अहमद ने इसे हसन सनद के साथ रिवायत किया है। रही बात मृतक के परिवार तथा उनके अतिथियों के लिए खाना बनाने की तो इसमें कोई हर्ज नहीं और उसके संबंधियों तथा पड़ोसियों का उनके लिए खाना बनाना शरीअत के अंतर्गत है। क्योंकि जब सीरिया में जाफ़र बिन अबू तालिब -रज़ियल्लाहु अनहु- की मृत्यु हुई तो अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने परिवार को आदेश दिया कि वे जाफ़र -रज़ियल्लाहु अनहू- के परिवार के लिए खाना बनाएँ, एवं

---

[1] अबू दावूद, अल-जना'इज़ (3221)

फ़रमाया : "उनपर ऐसी मुसीबत आई हुई है कि उनको किसी और काम के करने का होश भी नहीं है।"[1]

मृतक के परिवार वालों पर कोई बाधा नहीं कि वे अपने पड़ोसियों आदि को उस खाने पर बुलाएँ जो उन्हें भेजा गया हो, एवं हमारी जानकारी के अनुसार, शरीअत में इस का कोई नियत समय नहीं है।

11- यदि महिला गर्भवती न हो तो उसके लिए अपने पति के सिवा किसी की मृत्यु का शोक तीन दिन से अधिक मनाना जायज नहीं।

महिला के लिए अपने पति के सिवा तीन दिन से अधिक किसी की मृत्यु का शोक मनाना जायज नहीं एवं अपने पति का चार मास तथा दस दिन तक शोक का पालन करना आवश्यक है। परन्तु यदि गर्भवती हो तो प्रसव तक, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से ऐसा सही हदीसों से प्रमाणित है।

लेकिन पुरुष के लिए किसी भी करीबी या दूरस्थ रिश्तेदार का शोक मनाना सिरे से जायज नहीं है।

12- शरीयत के अनुसार, पुरुष कुछ समयांतराल पर क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) के लिए जा सकते हैं ताकि उन के लिए अल्लाह की कृपा की दुआ़ करें एवं मृत्यु तथा उस के पश्चात की बातों को स्मरण करें।

क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का फ़रमान है : "क़ब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि वे तुम्हें परलोक की याद दिलाएंगी।"[1] इमाम

[1] तिर्मिज़ी, अल-जना'इज़ (998), अबू दावूद, अल-जना'इज़ (3132), इब्न -ए- माजह, मा जाआ फी अल-जना'इज़ (1610).

मुस्लिम ने अपनी सहीह (मुस्लिम शरीफ़) में इसे रिवायत किया है। अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) अपने साथियों को यह दुआ सिखाते थे : "ऐ मोमिन व मुसलमान क़ब्र वासियों! तुमपर शान्ति की जलधारा बरसे एवं यदि अल्लाह चाहे तो हम तुमसे भेंट करने वाले हैं। हम अपने तथा तुम्हारे लिए आफियत की दुआ करते हैं। अल्लाह तआला आगे जाने वालों एवं पीछे आने वालों, सबके ऊपर कृपा करे।[2] जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनके लिए क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) करना जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने ज़ियारत करने वाली महिलाओं पर लानत (धिक्कार) भेजी है क्योंकि उनका धैर्य कम होता है तथा वे फ़ितने (रोना-पीटना आदि) में पड़ सकती हैं। उनके लिए ज़नाज़े (मृतक की लाश) के साथ चलकर क़ब्रिस्तान जाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने इससे रोका है। परन्तु मस्जिद में अथवा मुसल्ले में जनाज़े की नमाज़ पढ़ना, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जायज है।

यही कुछ है जिसको संकलित किया जाना संभव हो सका।

और दरूद व सलाम अवतरित हो हमारे नबी मुहम्मद पर और आपके समस्त परिवार एवं साथियों पर।

---

[1] मुस्लिम, अल-जना'इज़ (976), नसई, अल-जना'इज़ (2034), अबू दावूद, अल-जना'इज़ (3234), इब्न -ए- माजह, अल-जना'इज़ (1569), अहमद (2/441).

[2] मुस्लिम, अल-जना'इज़ (975), नसई, अल-जना'इज़ (2040), इब्न -ए- माजह, मा जा'आ फी अल-जना'इज़ (1547), अहमद (5/353).

विषय सूची

प्रस्तावना 3
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ), जो बड़ा दयालु एवं अति दयावान है। 3
पहला पाठ : सूरा फातिहा एवं दूसरी छोटी सूरतें 4
दूसरा पाठ : इस्लाम के स्तंभ 4
तीसरा पाठ : ईमान के स्तंभ 5
चौथा पाठ : तौहीद (एकेश्वरवाद) एवं शिर्क (बहुदेववाद) के प्रकार 5
पाँचवाँ पाठ : एहसान 10
छठा पाठ : नमाज़ की शर्तें 11
सातवाँ पाठ : नमाज़ के अरकान (स्तंभ) 11
आठवाँ पाठ : नमाज़ के वाजिब (आवश्यक) कर्म 11
नौवाँ पाठ : तशह्हुद का विवरण 12
दसवाँ पाठ : नमाज़ की सुन्नतें 13
ग्यारहवाँ पाठ : नमाज़ को अमान्य करने वाली वस्तुएँ 15
बारहवाँ पाठ : वज़ू की शर्तें 15
तेरहवाँ पाठ : वज़ू के आवश्यक कर्म 16
चौदहवाँ पाठ : वज़ू को तोड़ने वाली वस्तुएँ 16
पंद्रहवाँ पाठ : प्रत्येक मुसलमान का सदाचारी होना 18
सोलहवाँ पाठ : इसलामी शिष्टाचार धारण करना 18
सत्रहवाँ पाठ : शिर्क एवं गुनाहों से सावधान करना 18
अठारहवाँ पाठ : मृतक के कफन और दफन का प्रबंध करना, उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना एवं उसे दफ़नाना 19
2- जब उसकी मृत्यु का विश्वास हो जाए तब उसकी आंखें एवं मुंह बंद कर दिए जाएँ। 19
क्योंकि हदीस में इसका प्रमाण मौजूद है। 19
3- मुसलमान मुर्दे को नहलाना वाजिब है, सिर्फ उस आदमी को नहलाने की ज़रूरत नहीं जो रणभूमि में शहीद हुआ हो। 19
4- मृतक को स्नान कराने का तरीका 20
5- मृतक को कफ़नाना 21

6- मृतक को स्नान देने, उसके जनाज़े की इमामत करने एवं उसे दफ़न करने का सबसे अधिक हक़दार कौन है? 22
7- जनाज़े की नमाज़ का तरीका 22
8- मृतक को दफ़न करने का तरीका 24
9- यदि किसी की जनाज़े की नमाज़ छूट गई हो तो वह दफ़न के बाद पढ़ सकता है। 25
10- मृतक के परिवार के लिए जायज़ नहीं कि वे लोगों के लिए खाना बनाएँ। 25
11- यदि महिला गर्भवती न हो तो उसके लिए अपने पति के सिवा किसी की मृत्यु का शोक तीन दिन से अधिक मनाना जायज नहीं। 26
12- शरीयत के अनुसार, पुरुष कुछ समयांतराल पर क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) के लिए जा सकते हैं ताकि उन के लिए अल्लाह की कृपा की दुआ करें एवं मृत्यु तथा उस के पश्चात की बातों को स्मरण करें। 26

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

رسالة الحرمين

ह़रमैन का संदेश

मस्जिद -ए- ह़राम एवं मस्जिद -ए- नबवी के आगंतुकों के लिए मार्गदर्शक सामग्री विभिन्न भाषाओं में

978-603-8366-84-4